

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 जून 2020 — ज्येष्ठ 19, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक 4474/1291/21-ब/छ.ग./2020. — राज्य सरकार, गृह विभाग के फाईल क्रमांक एफ-4-39/गृह-सी/2020 में प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-21 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार की रोकथाम, नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, राजनांदगांव के अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 05/डूडा/2020 दिनांक 06-04-2020 में नामांकित निम्नलिखित नगरीय निकायों के अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करते हुए कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करती है :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	निकाय का नाम
1	श्री चन्दकांत कौशिक, आयुक्त	नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
2	श्रीमती पूजा पिल्ले, मुख्य नगर पालिक अधिकारी	नगर पालिका परिषद, खैरागढ़ (अतिरिक्त प्रभार - नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़)
3	श्रीमती शीतल चंद्रवंशी, मु.न.पा.अ.	नगर पंचायत, अंबागढ़ चौकी
4	श्री खुमान कश्यप, मु.न.पा.अ.	नगर पंचायत, गंडई
5	श्री अनुभव सिंह, मु.न.पा.अ.	नगर पंचायत, डोंगरगढ़
6	श्रीमती विभा सिंह, मु.न.पा.अ.	नगर पंचायत, छुरिया
7	श्री अजय सिंह, मु.न.पा.अ.	नगर पंचायत, छुईखदान

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.